

Computer Cell
4/7/22



राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (राजस्थान उच्च न्यायालय भवन, जोधपुर)

(Email id : ftsrslsajod@gmail.com

Phone No.: 0291-2888047)

क्रमांक : 84

दिनांक : 2.7.2022

:: सूचना/विज्ञप्ति::

नालसा (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम, 2010 संशोधित विनियम 2018 के विनियम 8 के अनुसार, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर के द्वारा जरिये कार्यालय आदेश क्रमांक 158 दिनांक 19-7-2021 को जारी सूचना/विज्ञप्ति की निरंतरता में समस्त विधि व्यवसायियों/अधिवक्ताओं से पैनल अधिवक्ता के चयन हेतु निम्न प्रकार से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

पात्रता :-

प्रत्येक विधि व्यवसायी या अधिवक्ता, जो बार काउंसिल से पंजीकृत हो एवं न्यूनतम तीन वर्ष का उच्च न्यायालय में विधि व्यवसायी के रूप में नियमित वकालत का लगातार अनुभव रखता हो।

नोट :-

1. विधि व्यवसायी से तात्पर्य अधिवक्ता अधिनियम 1961 (1961 का 25 की धारा 2 के खण्ड "झ" में यथा परिभाषित से है)।
2. दाण्डिक एवं किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित प्रकरणों के लिए अधिकतम 30, सिविल प्रकरणों के लिए अधिकतम 10, संवैधानिक विधि एवं रिट मामले (सेवा मामलों के अतिरिक्त) के लिए अधिकतम 15, श्रमिक एवं सेवा मामलों के लिए अधिकतम 10, पारिवारिक मामलों के लिए अधिकतम 10 एवं पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए अधिकतम 05 अधिवक्ताओं का पैनल राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर के द्वारा तैयार किया जाना है।
3. आवेदक द्वारा उच्च न्यायालय स्तर के ऐसे पांच प्रकरणों के निर्णय/आदेशों की प्रतिलिपियां संलग्न करना आवश्यक होगा, जिनमें आवेदक के द्वारा व्यक्तिगत रूप से बहस/पैरवी की गई हो।
4. उक्त पैनल एक वर्ष की अवधि के लिए गठित किया जाएगा, जो अधिकतम तीन वर्ष तक नवीनीकृत किया जा सकेगा।
5. पैनल में एस.सी./एस.टी., ओ.बी.सी., एस.बी.सी., महिला और दिव्यांग अधिवक्तागण का यथासंभव आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।
6. यदि निर्धारित संख्या से अधिक आवेदक योग्य पाए जाते हैं, तो अनुभव की वरिष्ठता के आधार पर निर्धारित संख्या अनुसार पैनल अधिवक्तागण का चयन किया जाएगा तथा यदि 02 या अधिक आवेदक समान अनुभव रखते हैं तो ऐसी स्थिति में युवा अधिवक्ता को प्राथमिकता दी जावेगी।
7. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 (यथा संशोधित विनियम 2018) एवं इस संबंध में राज0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा बनाए गए विनियम तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार पैनल अधिवक्तागण को मानदेय एवं अन्य खर्चे देय होंगे।
8. आवेदक इस तथ्य की अण्डरटेकिंग देगा कि वह पैनल/रिटर्नर अधिवक्ता के रूप में चयनित किए जाने पर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं उसके तहत बनाए गए नियम, विनियम एवं बनाई गई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जारी निर्देशों की निष्ठा पूर्वक पालना करेगा। पैनल/रिटर्नर अधिवक्ता के रूप में, जो प्रकरण उसे पैरवी के लिए सुपुर्द किए जाएंगे, वह उन संबंधित व्यक्तियों से कोई शुल्क, पारिश्रमिक व अन्य मूल्यवान प्रतिफल की मांग नहीं करेगा और न ही प्राप्त करेगा।

(Signature)

9. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं उसके तहत बनाए गए नियम, विनियम एवं उसके अंतर्गत बनायी गई किसी भी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं समय-समय पर जारी निर्देशों एवं शर्तों के अधीन पैनल अधिवक्तागण विधिक सेवाएं प्रदान करेंगे।
10. यदि नियुक्त पैनल अधिवक्ता के द्वारा संतोषजनक कार्य नहीं किया जाता है या उसके द्वारा अधिनियम और विनियम के उद्देश्य और भावना के प्रतिकूल कोई कार्य किया जाता है, तो उससे उसको सौंपा गया कार्य/मामला वापस ले लिया जा सकेगा और साथ ही किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिए उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी और उसकी कोई आपत्ति भी स्वीकार नहीं की जाएगी।
11. नियुक्त पैनल अधिवक्ता को प्राधिकरण/समिति के द्वारा तैयार किए गए मॉड्यूल के अनुसार समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना आवश्यक रहेगा।

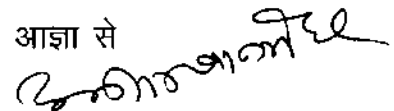
इच्छुक आवेदकगण ऑनलाइन लिंक

<https://forms.gle/HDMkesRM3wjQp4XUA>

पर दिनांक 4-7-2022 से दिनांक 4-8-2022 को रात्रि 11:59 बजे तक आवेदन कर सकेंगे, जिसमें आवश्यक दस्तावेज (1. बार काउंसिल द्वारा जारी सनद की प्रति 2. उच्च न्यायालय से संबंधित 05 प्रकरणों के निर्णय/अंतिम आदेशों की प्रतिलिपि, जिनमें आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से बहस की गई हो, 3. अनुभव से संबंधित अन्य कोई उचित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। उक्त तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को विचारार्थ उपयुक्त नहीं माना जाएगा।

नोट : जिन आवेदकगणों ने दिनांक 19-7-2021 की पूर्व जारी विज्ञप्ति के तहत आवेदन कर रखा है, उन आवेदकों को विकल्प दिया जाता है कि वे अपने पूर्व के आवेदन में निर्णयों की प्रतिलिपि या अन्य आवश्यक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं तो अंतिम दिनांक 4-8-2022 तक कार्यदिवसों में इस कार्यालय में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक पेश कर सकते हैं।

आज्ञा से


(अजीज खान)

सचिव

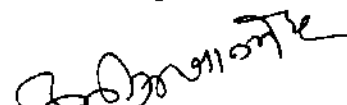
राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक
सेवा समिति, जोधपुर

क्रमांक : 1857

दिनांक : 2.7.22

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :-

- ✓ 1. रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) महोदय, राज0 उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. नोडल अधिकारी, वेबसाइट, राज0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
3. अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन, जोधपुर।
4. अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन, जोधपुर।
5. नोटिस बोर्ड, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जोधपुर।


सचिव

राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक
सेवा समिति, जोधपुर